इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 मई 2013—वैशाख 17, शक 1935

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 7 मई 2013

क्र. एफ 01-12-2005-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्रमांक 20) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य शासन वर्तमान जिला शाजापुर की सीमाओं को परिवर्तित करने तथा नवीन जिला आगर सृजित करने का एवं निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए रूप में उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र में सूचना के प्रकाशन के दिनांक से साठ दिन की समाप्ति पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित रूप में मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग के सचिव के पास उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रेषित किए जा सकेंगे :—

अनुसूची

क्र. (1)	जिला (2)	परिवर्तन का प्रकार (3)	सीमायें (4)
1.	शाजापुर	वर्तमान शाजापुर जिले से तहसील आगर, बड़ोद, सुसनेर एवं नलखेड़ा का अपवर्जन.	पूर्व दिशा में—जिला सीहोर पश्चिम दिशा में—जिला उज्जैन एवं प्रस्तावित जिला आगर. उत्तर दिशा में—जिला राजगढ़ दक्षिण दिशा में—जिला देवास.
2.	आगर	शाजापुर जिले की सम्पूर्ण तहसील आगर, बड़ोद, सुसनेर एवं नलखेड़ा को समाहित करते हुए नए जिले आगर का सृजन.	पूर्व दिशा में—जिला राजगढ़/शाजापुर पश्चिम दिशा में—जिला रतलाम उत्तर दिशा में—राजस्थान राज्य की सीमा दक्षिण दिशा में—जिला उज्जैन.

प्रशासनिक चुस्ती एवं सक्षमता, विकास की गति में तीव्रता और जनसुविधा तथा जनता के अनावश्यक खर्च की बचत के उद्देश्य से परिवर्तन/सृजन प्रस्तावित है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 मई 2013

क्र. एफ 01-12-2005-सात-शा 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ 01-12-2005-सात-शा. 6, दिनांक 7 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

NOTICE

Bhopal, the 7th May 2013

No. F 1-12-2005-VII-06.—In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the power conferred by sub-section (2) of the said Section, the State Government propose to alter the limits of district Shajapur and to create a new district Agar and to define the limits thereof as specified in the schedule below.

The Proposal will be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication the this notice in the "Madhya Pradesh Gazette" and any objection or suggestion in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary to Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, before the expiry of the said period :—

SCHEDULE

No. (1)	District (2)	Nature of change (3)	Limits (4)
01	Shajapur	Exclusion of Tehsil Agar, Barod, Susner & Nalkhera from the present District Shajapur.	In East—District Sehore In West—District Ujjain and Proposed District Agar. In North—District Rajgarh In South—District Dewas
02	Agar	Creation of a new district Agar by inclusion of the whole Tehsil Agar, Barod, Susner & Nalkhera of present District Shajapur.	In East—District Rajgarh & Shajapur In West—Destrict Ratlam In North—Rajasthan State In South—District Ujjain

REASONS FOR PROPOSED CHANGE

The change/creation in proposed to bring about administrative efficiency and efficacy, accelerate the pace of development and for public convenience and to avoid unnecessary cost of public.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJIT KESARI, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.